निर्णय बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 30.04.2024

प्रकरण संख्या 28 / प्रार्थना पत्र / 20 तारीख दायरा 26.08.2020

ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2020 / 00074

उनवान

1 – बृजलता उम्र 50 वर्ष पुत्र पन्नालाल पत्नी रामू राठौर जाति तेली निवासी चुरेलिया तहसील अकलेरा हाल मुकाम सुभाष विहार, अनन्तपुरा कोटा जिला कोटा राज0

——— वादनी

बनाम

1– मोहनलाल उम्र 70 वर्ष पिता पन्नालाल जाति तेली निवासी चुरेलिया तहसील अकलेरा, हाल मुकाम पानी की टंकी के पास नियर सेन्ट्रल बैंक असनावर तहसील असनावर जिला झालावाड़ राज0

2– मुरलीधर उम्र 65 वर्ष पिता पन्नालाल जाति तेली निवासी चुरेलिया

3– सत्यनारायण उम्र 60 वर्ष पिता पन्नालाल जाति तेली निवासी चुरेलिया

4–कमलेश 48 वर्ष पिता पन्नालाल जाति तेली निवासी चुरेलिया तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

5– सन्तोषबाई उम्र 55 वर्ष पुत्री पन्नालाल पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति तेली निवासी चुरेलिया तहसील अकलेरा हाल मुकाम हीलवी कॉलोनी, एजाज नगर छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज0

6– सुरेश उम्र 48 वर्ष पिता भैरूलाल जाति तेली निवासी चुरेलिया तहसील अकलेरा हाल मुकाम दादाबाडी, शास्त्री नगर, मकान नम्बर 280 कोटा जिला कोटा राज0

7–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज0

——— प्रतिवादी

वाद / प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0ले0रे0एक्ट

निर्णय

उपस्थिति:– वकील वादनी श्री कुलेन्द्र कुमार नागर

दिनांक 30.04.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ले0रे0ए0 के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम चुरेलिया पटवार हल्का चुरेलिया भू0अभि0निरी0 चुरलिया तहसील अलेरा के माल की खाता [illegible] 400 [illegible] खसरा नम्बर 1716 की 8.12 बीघा आराजी वादनी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत [illegible] खाते की स्थित है। वाद की मद में वर्णित आराजी में वादनी का [illegible] जाति तेली अंकित हो रहा है। जो गलत है। वादनी का सही नाम [illegible] है जो आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, पेन[illegible] स्टेट बैंक कोटा की पासबुक में वादनी का नाम बृजलता दर्ज हो रहा है। वादनी का [illegible]रिवार में बोलता नाम–बरदीबाई नाम से भी जाना जाता है। वादनी के पिता पन्नालाल वल्द कालू जाति तेली निवासी चुरेलिया के फौत हो जाने के उपरान्त वक्त फौती इन्तकाल वादनी के भाईयो द्वारा बोलता नाम बरदीबाई लिखवा दिया है। वादनी बृजलता एवं बरदीबाई दोनो एक ही नाम के व्यक्ति है इस कारण वादनी जमाबन्दी मे बरदीबाई के स्थान पर बृजलता दुरूस्त करवाकर अपना सही नाम करवाना चाहती है। वादनी ने नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रतिवादीगण से पूर्व मे कई मर्तबा कहा किन्तू कोई सुनवाई

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2024.06.28 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

नही की गई। अन्तिम बार दिनांक 10.08.2020 को प्रतिवादीगण से कहने एवं इन्कार हो जाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ। खातेदार मांगीबाई बेवा पन्नालाल का देहावसान 2 वर्ष पूर्व हो चुका है जिसके वारिस एवं कायम मुकाम वादनी स्वयं एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 जमाबन्दी मे मौजूद है। अतः वादनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित आराजी ग्राम चुरेलिया पटवार हल्का चुरेलिया भू0अभि0निरी0 चुरेलिया तहसील अलेरा के माल की खाता संख्या नया 400 पुराना 376 की खसरा नम्बर 1716 की 8.12 बीघा आराजी में वादनी का नाम बरदीबाई पुत्री पन्नालाल के स्थान पर दुरस्त किया जाकर बृजलता पिता पन्नालाल अंकित किया जावे। इस बाबत डिक्री जारी हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का जवाब तलब किया गया प्रतिवादीगण 2 ता 4 व 6 बावजूद सूचना दौराने वाद अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नम्बर 7 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो संलग्न पत्रावली किया गया मुताबिक जवाब प्रतिवादी तहसीलदार, वादनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सहमत है तथा उक्त राजस्व रिकार्ड मे वादनी का नाम बरदीबाई पुत्री पन्नालाल के स्थान पर दुरस्त किया जाकर बृजलता पिता पन्नालाल अंकित किया जाने से सहमत है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादनी द्वारा प्रस्तुत तर्क एंव दस्तावेज पर गौर किया गया। वादनी एवं प्रतिवादी तहसीलदार प्रार्थना पत्र के तथ्यो से सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार को आदेश दिया जाता है कि वर्णित आराजी ग्राम चुरेलिया पटवार हल्का चुरेलिया भू0अभि0निरी0 चुरेलिया तहसील अलेरा के माल की खाता संख्या नया 400 पुराना 376 की खसरा नम्बर 1716 की 8.12 बीघा आराजी में वादनी का नाम बरदीबाई पुत्री पन्नालाल के स्थान पर दुरस्त किया जाकर बृजलता पिता पन्नालाल अंकित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को खुले इजलास सुनाया गया ।

(राहुल कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी अकलेरा
अकलेरा (झालावाड़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2024.06.28 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested